बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि०
खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर, ब्लॉक रोड नं०-2 पटना 800001

पत्रांकः-2:15:33:1:2018 12033 पटना/दिनांकः- 26-11-2018

प्रेषक,

पंकज कुमार भा०प्र०से०,
प्रबंध निदेशक।

प्रेषित,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम, बिहार।

विषयः- **राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में।**

प्रसंगः- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय पत्रांक 970 दिनांक 23.02.2018 एवं निगम मुख्यालय ज्ञापांक 2037 दिनांक 27.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में आप अवगत है कि बिहार राज्य में 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013' के अन्तर्गत सरकार के निर्णयानुसार राज्य को प्राप्त आवंटित खाद्यान्नों का उठाव एवं वितरण हेतु 'डोर स्टेप डिलेवरी योजना 2016' को लागू की गई है। उक्त संदर्भ में की गई व्यवस्था Supply chain management system के तहत् जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को उनके दुकान स्थल तक निगम द्वारा जी०पी०एस० एवं लोडसेल युक्त वाहनों से खाद्यान्न पहुँचाया जाता है साथ ही साथ संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को उनके मोबाईल न० पर खाद्यान्न भेजने की सूचना दिये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में संबंधित जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का मोबाईल न० अद्यतन (Update) करने की आवश्यकता है। Supply chain management system के तहत् खाद्यान्न पहुँचाने की अचूक व्यवस्था होने के कारण **जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को राज्य खाद्य निगम के गोदामों में आने की कतई आवश्यकता नहीं है।** सभी गोदामों में Supply chain management की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जिसके लिए गोदामों में विद्युत सम्बर्द्धन एवं मापतौल यंत्रों को दुरूस्त कराने का निदेश उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी यह कार्य शत् प्रतिशत् नहीं हो पाया है एवं कहीं-कहीं पर जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को गोदाम पर आने के साथ कतिपय बाहरी व्यक्तियों के गोदामों में हस्तक्षेप करने की सूचना प्राप्त होती रही है जो डोर स्टेप डिलेवरी योजना - 2016 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

अतः सभी सहायक प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में बाहरी व्यक्तियों को गोदामों पर नहीं आने एवं ऐसे व्यक्तियों को गोदाम में पाये जाने पर उनपर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अनाधिकृत व्यक्तियों को गोदाम में आने पर रोकथाम हेतु सभी जिला प्रबधक निगम के कर्मियों को बेल्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित एजेंसी के माध्यम से पहचान पत्र एक माह के अन्तर्गत निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार गोदाम में काम करने वाले अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा कर्मियों एंव सेवा प्रदाता, 4G identity solution Pvt Ltd. के कर्मी एवं परिवहन अभिकर्त्ता के चालक एवं खलासी को परिचय पत्र बनाकर संबंधित अधिकृत एजेंसी एवं परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा दी जायेगी, ताकि औचक निरीक्षण के कम में अनाधिकृत रूप से पाये जाने पर सीधे उनपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। सभी सहायक

mdsir

प्रबंधक, अपर जिला प्रबंधक एवं जिला प्रबंधक अकार्यरत मापतौल यंत्र की मरम्मती एवं विद्युत सम्बर्द्धन कार्य 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर सहायक प्रबंधक, अपर जिला प्रबंधक तथा जिला प्रबंधक पर आवश्यक कठोर कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

26/11/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः– 12033 पटना/दिनांक 26-11-2018

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः– 12033 पटना/दिनांक 26-11-2018

प्रतिलिपिः– सभी सेवा प्रदत्त एजेंसी, 4G identity solution Pvt Ltd. निगम मुख्यालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/2018

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः– 12033 पटना/दिनांक 26-11-2018

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जन वितरण/महाप्रबंधक, प्रशासन एवं महाप्रबंधक, आधुनिकीकरण को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेशों का दैनिक अनुश्रवण कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

26/11/2018

प्रबंध निदेशक।

mdsir

23-02-18

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–विविध–02/2018– 970 – खाद्य, पटना/दिनांक– 23-02-18

प्रेषक,

भरत कुंमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपस्थित होने पर प्रतिबंधित करने के संबंध में।

GM DM SFC को copy दें
2612

महाशय,

उपरोक्त विषयक निदेशानुसार कहना हैं कि डोर–स्टेप डिलीवरी योजना के अन्तर्गत संचालित Supply Chain Management System के तहत जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को उनके दुकान तक राज्य खाद्य निगम द्वारा जी0पी0एस0 एवं लोडशेल युक्त वाहनों से खाद्यान्न पहुँचाया जाता है एवं एस0आई0ओ0 में उसकी प्राप्ति कराकर सहायक प्रबंधक को वापस किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य खाद्य निगम द्वारा मोबाईल एप्प विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा अपने दुकान परिसर से खाद्यान्नो की प्राप्ति मोबाईल एप्प के माध्यम से अपलोड करने का प्रावधान किया जा रहा है और जहाँ तक खाद्यान्न पहुँचाने की अचूक व्यवस्था Supply Chain Management System व्यवस्था के तहत होने के कारण जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर आने की कतई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कतिपय शिकायते प्राप्त हो रही है।

18) 26/2/18

अतः अनुरोध है कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को यह निदेश दिया जाय कि वे किसी भी परिस्थिति में गोदाम पर नहीं आयेंगे। इसके साथ ही साथ जिला प्रबंधकों को भी यह निदेश दिया गया है कि ऐसे सभी माप–तौल यन्त्र को दुरस्त कर एस0आई0ओ0 में उल्लिखित मात्रा का खाद्यान्न Dispatch करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता वरती जाती है तो सभी संबंधित सहायक प्रबंधकों/अपर जिला प्रबंधकों एवं जिला प्रबंधक पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–विविध–02/2018– 970 खाद्य, पटना/ 23-02-18

प्रतिलिपि :– सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–विविध–02/2018– 970 खाद्य, पटना/दिनांक– 23-02-18

प्रतिलिपि :– मुख्य महाप्रबंधक (वितरण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि सभी गोदामों में माप–तौल यंत्र को यथाशीघ्र अभियान चलाकर ठीक करने की कार्रवाई की जाय एवं उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(हस्ताक्षर)
सरकार के विशेष सचिव।

D:\2018\Sec_II\Vividh.doc

ज्ञापांक :- 2;15;13;1;18 2037 पटना/दिनांक :- 27/2/2018

प्रतिलिपि :- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27/2/18
उपमहाप्रबंधक (ज0वि0)